

न्यायालय सब जज—तृतीय, डुमरौव, जिला—बक्सर।

स्वत्व वाद सं०—117 / 2023

निरजाकान्त उपाध्याय — वादी

बनाम्

मोहन उपाध्याय वगैरह — प्रतिवादीगण

09.06.2026

वादी अनुपस्थित है। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी दिनांक—25.11.2025 से लगातार अनुपस्थित है। वादी को पूर्व आदेश का पालन करने हेतु निर्देशित किया गया फिर भी वादी द्वारा पूर्व आदेश का पालन नहीं किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को वाद चलाने में कोई अभिरुचि नहीं रह गया है। अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है।

कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

“लेखापित”

सब जज—तृतीय